2025:CGHC:28241

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 441/2016

1– कमल कुमार साहू पिता कलीराम साहू, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी– शीतला देवी मंदिर के पीछे, बड़ा अशोक नगर,थाना गुढ़ियारी, जिला रायपुर। सिविल एवं राजस्व जिला रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

2– कलीराम साहू पिता अभय राम साहू, आयु लगभग 62 वर्ष, निवासी– शीतला देवी मंदिर के पीछे, बड़ा अशोक नगर, थाना गुढ़ियारी, जिला रायपुर। सिविल एवं राजस्व जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

अपीलार्थीगण

विरुद्ध

1– छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः थाना प्रभारी, थाना गुढ़ियारी, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

प्रत्यर्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(वाद–शीर्षक वाद सूचना प्रणाली से लिया गया)

अपीलार्थीगण की ओर से	:	सुश्री अनुजा शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी की ओर से	:	श्री आर.सी.एस. देव,पैनल अधिवक्ता

माननीय श्री बिभु दत्त गुरु, न्यायाधीश

बोर्ड पर निर्णय

26/06/2025

सुना गया।

1. यह दाण्डिक अपील, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अधीन, विद्वान पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 86/2014 में दिनांक 30/03/2016 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 306/34 के अधीन दोषसिद्ध किया है तथा उन्हें 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000/– रुपये के अर्थदंड,व्यतिक्रम सशर्त दंडित किया है ।

2. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि गुढ़ियारी थाना, रायपुर के उप–निरीक्षक लखन लाल साहू को सरस्वती नगर थाना, रायपुर से टेलीफोन के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक

31/12/13 को लगभग रात्रि 9:00 बजे श्रीमती सुनीता साहू (एतस्मिन पश्चात 'मृतिका') को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तत्पश्चात, जलने के कारण लगी चोटों के उपचार के दौरान दिनांक 05/01/14 को कालड़ा अस्पताल, रायपुर में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट सरस्वती नगर थाने में दर्ज की गई थी। उपरोक्त सूचना पर, उप–निरीक्षक लखन लाल साहू सरस्वती नगर थाना से मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट डायरी प्राप्त कर कालड़ा अस्पताल, रायपुर पहुंचे। तत्पश्चात मृतिका के शव परीक्षण कराया गया। तत्पश्चात, लखन लाल साहू गुढ़ियारी थाना वापस लौटे और वास्तविक मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।

दिनांक 01/01/14 को कार्यपालक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा मृतिका का मृत्युकालिक कथन दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि मृतिका को उसके पति कमल साहू (एतस्मिन पश्चात 'अ–1') और ससुर काली राम (एतस्मिन पश्चात 'अ–2') द्वारा 'चरकट' कहकर ताना मारा जाता था, जिससे तंग आकर उसने स्वयं पर मिट्टीतेल छिड़क कर आग लगा ली, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। विवेचना के उपरांत, यह पाया गया कि उपरोक्त अपराध अपीलार्थीगण द्वारा कारित किया गया है, अतः थाना गुढ़ियारी, रायपुर ने अपीलार्थीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 34 के अधीन अपराध पंजीबद्ध कर इसे विवेचना में लिया।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए। घटनास्थल का नजरी–नक्शा तैयार किया गया। तत्पश्चात, आरोपियों को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया। अपीलार्थीगण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर, उनके विरुद्ध अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपराध साबित करने हेतु, अभियोजन ने अपने समर्थन में कुल 12 साक्षियों का परीक्षण कराया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थीगण के कथन अभिलिखित किए गए, जिसमें उन्होंने अभिवाक किया कि वे निर्दोष हैं और उन्हें वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है।

4. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन करने के उपरांत, अपने निर्णय दिनांक 30/03/2016 द्वारा अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध एवं दंडित किया, जैसा कि इस निर्णय के प्रारंभिक कण्डिका में उल्लेख किया गया है। अतः, यह अपील प्रस्तुत की गई है।

5. अपीलार्थीगण की विद्वान अधिवक्ता सुश्री अनुजा शर्मा ने तर्क किया कि अपीलार्थीगण को वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाए कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दिन या उसके निकटतम समय में अपीलार्थीगण की ओर से उकसाने का कोई कार्य किया गया था। उन्होंने आगे यह तर्क किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के आवश्यक घटक पूर्ण नहीं होते हैं, जैसा कि घटना के समय के निकट कोई उत्तेजना या उकसावे वाला कार्य प्रतीत नहीं होता है। मृत्युकालिक कथन में प्रयुक्त भाषा किसी प्रत्यक्ष प्रलोभन या दबाव को नहीं दर्शाती है, जिससे मृतिका के पास ऐसा आत्मघाती कदम उठाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष न हो। इस संबंध में **रमेश कुमार विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य, 2001 (9) एससीसी 618** और **संजू विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य, 2002 (5)**

एससीसी 371 के प्रकरणो का अवलंब लिया गया है। इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि यथावत रखने योग्य नहीं है और अपीलार्थी दोषमुक्त होने के पात्र हैं।

6. इसके विपरीत, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री आर.सी.एस. देव ने अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा किए गए तर्कों का विरोध किया एवं तर्क किया कि अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि हेतु अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, और विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को उचित रूप से दोषसिद्ध एवं दंडित किया है।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और उनके द्वारा ऊपरोक्त प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

8. धमर साहू (अभियोजन साक्षी–1) मृतिका के पिता हैं। उन्होंने कथन किया कि उनकी पुत्री सुनीता (मृतिका) ने अपने ससुराल में स्वयं को आग लगा ली थी। मृतिका बताया करती थी कि अपीलार्थी उसके साथ झगड़ा करते थे। उन्होंने साक्ष्य दिया कि मृतिका ने उन्हें बताया था कि जब घर का निर्माण कार्य चल रहा था, तब उसने राजमिस्त्री को भोजन दिया था और इसी बात पर आरोपी उसे 'चरकट' कहते थे। उन्होंने साक्ष्य दिया कि मृतिका का विवाह 12 वर्ष पूर्व अ–1 के साथ हुआ था। आरोपी कई बार झगड़ा करते थे और मृतिका कई बार उसके घर आई थी। अ–1 उनकी पुत्री के चरित्र पर संदेह करता था और उसके साथ मारपीट तथा गाली–गलौज भी करता था। इस साक्षी ने न्यायालयिक साक्ष्य दिया कि इन बातों से तंग आकर उसने स्वयं पर मिट्टीतेल छिड़क कर आग लगा ली। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि कभी–कभी जब मृतिका और अ–1 के मध्य झगड़ा होता था, तब अ–1 मृतिका को उसके घर छोड़ देता था और दो–तीन दिनों के बाद उसे वापस ले जाता था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. दशोदा बाई (अभियोजन साक्षी–2), जो मृतिका की माँ हैं, ने अपने कथन में साक्ष्य दिया है कि घटना के दिन, अ–1 ने उन्हें फोन किया और आने के लिए कहा। जब वह पहुँचीं, तो मृतिका को अस्पताल ले जाया जा चुका था। उन्होंने देखा कि मृतिका पूरी तरह से जल चुकी थी। पूछने पर, मृतिका ने उन्हें बताया कि उसने अ–2 के निर्देशानुसार राजमिस्त्री को भोजन दिया था, लेकिन शाम को अपीलार्थीगण ने उसे 'चरकट' कहकर उससे झगड़ा किया, जिसे वह सहन नहीं कर सकी और तत्पश्चात, उसने स्वयं पर मिट्टीतेल छिड़क कर आग लगा ली। प्रतिपरीक्षण में, इस साक्षी ने साक्ष्य दिया है कि जब मृतिका राजमिस्त्री को भोजन दे रही थी, तब अ–1 ने उसे देख लिया था, जिसके कारण उसने झगड़ा किया। अभियोजन साक्षी–3 यशवंत साहू, जो मृतिका का भाई है, ने भी अपने माता–पिता (अर्थात अभियोजन साक्षी–1 और अभियोजन साक्षी–2) के कथनों की संपुष्टि की है।

10. मृतिका का मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी./6 है। इसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट, रायपुर द्वारा दर्ज किया गया था। मृत्युकालिक कथन में मृतिका ने बताया है कि उसने स्वयं पर मिट्टीतेल छिड़क कर स्वयं को आग लगा ली थी। उसने यह भी कहा कि चूंकि अपीलार्थी उसे 'चरकट' कहते थे, इसलिए उसने तंग आकर स्वयं को आग लगा ली।

11. साक्षियों के उपरोक्त कथनों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि मृतिका ने स्वयं पर मिट्टीतेल छिड़क कर आत्मदाह किया था। उसने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि चूंकि अपीलार्थी उसके साथ झगड़ा करते थे और उसे 'चरकट' कहते थे।

12. भारतीय दंड संहिता की धारा 306 यह प्रावधान करती है कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई भी ऐसी आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करेगा, वह दंडित किए जाने का पात्र होगा। दुष्प्रेरण के आवश्यक घटक भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में निर्धारित किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं :–

> "107. किसी बात का दुष्प्रेरण वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो–
>
> पहला– उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है; अथवा
>
> दूसरा– उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है. यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में, और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए; अथवा
>
> तीसरा– उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अभियोजन द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध मृतिका को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 क का अवलंब लिया है, जो निम्नानुसार है :–

> "113 क. किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा जब प्रश्न यह है कि किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या का करना उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है और यह दर्शित किया गया है कि उसने अपने विवाह की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी और यह कि उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार ने उसके प्रति क्रूरता की थी, तो न्यायालय मामले की सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी।

14. वर्तमान प्रकरण में, उपरोक्त सभी साक्षियों ने अपने कथनों में यह साक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी और मृतिका के मध्य विवाह 12 वर्ष पूर्व संपन्न हुआ था और उनके दो संतानें थी। इस प्रकार, साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि विवाह के 12 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और मृतिका द्वारा किसी भी प्रकार के प्रताड़ना या उकसावे के संबंध में पूर्व में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। अतः, आत्महत्या के दुष्प्रेरण की

उपधारणा के आवश्यक घटक, कि आत्महत्या विवाह की तिथि से 7 वर्ष के भीतर की गई हो, साबित नहीं हुए।

15. अभिलेख के परिशीलन से, अपीलार्थीगण के विरुद्ध एकमात्र आरोप यह है कि उन्होंने मृतिका को तब 'चरकट' कहा था जब उसने एक राजमिस्त्री को भोजन दिया था और इस कारण उसने आत्महत्या कर ली। तदनुसार, मृतिका ने विवाह के 12 वर्ष पश्चात स्वयं को आग लगाकर आत्महत्या कारित की।

16. किसी भी साक्षी ने कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि दहेज की किसी मांग के कारण अपीलार्थी जानबूझकर मृतिका को प्रताड़ित कर रहे थे। यद्यपि साक्षियों ने मृतिका और अपीलार्थीगण के बीच झगड़े के बारे में बताया है, किंतु उनमें से किसी ने भी इस कारण का उल्लेख नहीं किया है कि वे झगड़े क्यों होते थे। मृतिका के पिता और माता ने कथन किया है कि मृतिका ने उन्हें बताया था कि उसने अ–2 से निर्देश मिलने पर राजमिस्त्री को भोजन दिया था, किंतु शाम को अपीलार्थीगण ने उसे 'चरकट' कहकर उससे झगड़ा किया, जिसे वह सहन नहीं कर सकी और तत्पश्चात, उसने स्वयं पर मिट्टीतेल छिड़क कर आत्मदाह कर लिया।

17. दाम्पत्य जीवन में पति द्वारा केवल अनादर सूचक टिप्पणी या झगड़े को उस समय दुष्प्रेरण के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता, जब तक कि घटना की दिनाँक या उससे ठीक पहले दाम्पत्य जीवन के सामान्य नोंक–झोंक के अतिरिक्त, कुछ असाधारण घटित न हुआ हो। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **कुमार उर्फ शिव कुमार विरुद्ध कर्नाटक राज्य, 2024 आईएनएससी 156 = एआईआर ऑनलाइन 2024 एससी 111** के प्रकरण में, **रमेश कुमार** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में पारित अपने पूर्ववर्ती निर्णय का संदर्भ देते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि क्रोध के आवेश में, परिणामों का आशय रखे बिना कहे गए किसी शब्द को आत्महत्या के लिए उकसावा नहीं कहा जा सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह दोहराया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अपराध के लिए किसी अभियुक्त को दोषसिद्ध करने हेतु अभियोजन द्वारा यह साबित किया जाना अनिवार्य है कि अभियुक्त ने अपने कृत्यों या लोप द्वारा अथवा निरंतर आचरण के माध्यम से ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की थीं कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अतिरिक्त और कोई अन्य विकल्प शेष नहीं था। इस प्रकरण में, साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात केवल यही तथ्य सामने आया कि घटना के दिन मृतिका ने अ–2 से निर्देश मिलने पर राजमिस्त्री को भोजन दिया था, किंतु शाम को अपीलार्थीगण ने उसे 'चरकट' कहकर उससे झगड़ा किया, जिसे वह सहन नहीं कर सकी और तत्पश्चात, उसने स्वयं पर मिट्टीतेल छिड़क कर आत्मदाह कर लिया।

18. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **रमेश कुमार** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में 'उकसाने' या 'उकसावे' शब्द के अर्थ की विस्तृत व्याख्या की है और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:–

"उकसाने का अर्थ है किसी 'कार्य' को करने के लिए भड़काना, प्रेरित करना, आगे बढ़ाना, उत्तेजित करना या प्रोत्साहित करना। उकसावे की आवश्यकता का समाधान करने के लिए यद्यपि यह अनिवार्य नहीं है कि ऐसे प्रभाव उत्पन्न करने हेतु शब्दों का वास्तविक रूप से प्रयोग ही किया गया हो, अथवा जो कुछ उकसावा माना जाए वह अनिवार्यतः और विशेष रूप से परिणाम का संकेत देने वाला ही हो। किंतु परिणाम को प्रेरित करने की एक युक्तिसंगत निश्चितता स्पष्ट रूप से परिलक्षित की जा सकनी चाहिए। वर्तमान प्रकरण ऐसा नहीं है जहाँ अभियुक्त ने अपने कृत्यों या लोप द्वारा या निरंतर आचरण के माध्यम से ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की थीं कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष न हो, जिस स्थिति में उकसावे का अनुमान लगाया जा सकता था। क्रोध या भावावेश में, वास्तव में परिणामों का आशय रखे बिना कहे गए किसी शब्द को उकसावा नहीं कहा जा सकता।"

19. मुझे अभियोग–पत्र में अथवा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से, भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध स्थापित करने हेतु विधि द्वारा अपेक्षित किसी भी घटक का, दूर–दूर तक भी, उल्लेख या समर्थन प्राप्त नहीं होता। अपीलार्थीगण द्वारा कहे गए शब्द, यदि उन्हें सत्य मान भी लिया जाए, तो भी वे ऐसी प्रकृति के नहीं कहे जा सकते कि वे मृतिका के पास अपना जीवन समाप्त करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष न हो।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

20. प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरा अभिमत यह है कि अभियोजन अपना प्रकरण साबित करने में असफल रहा है और विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों का उचित रूप से विवेचना नहीं की है। अतः, दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है।

21. फलस्वरूप, यह अपील **स्वीकार** की जाती है।

22. यह व्यक्त किया गया है कि अपीलार्थीगण जमानत पर हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–क के आलोक में, उनके जमानत बंधपत्र आगामी 6 माह की अवधि तक प्रभावशील रहेंगे।

23. इस निर्णय की प्रतिलिपि सहित विचारण न्यायालय का अभिलेख, अनुपालन और आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित विचारण न्यायालय को अविलंब प्रतिप्रेषित की जाए।

सही/–

(बिभु दत्त गुरु)

न्यायाधीश

Head Note

Derogatory remark or quarrel by husband/in–laws in matrimonial life alone cannot be considered sufficient to the extent to constitute abetment unless something extra–ordinary, more than normal wear and tear of married life, is shown on or just before the date of incident.

दांपत्य जीवन में पति/ससुराल पक्ष द्वारा अनादर सूचक टिप्पणी या झगड़ा उस समय तक दुष्प्रेरण के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता जब तक घटना दिनांक या उससे ठीक पहले दांपत्य जीवन के सामान्य नोंक–झोंक के अतिरिक्त, कुछ असाधारण घटित न हुआ हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur